Dainik Bhaskar, Raipur and Nai Duniya, Bilaspur, Dated 21-01-2022

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी)

आम सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के (बहुवर्षीय टैरिफ के सिद्धांत के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रकिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम – 2021 के संगत प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा त्रि–वर्षीय कंट्रोल पिरियड यथा वर्ष 2022–23 से 24–25 की अवधि के लिए केपिटल इन्वेस्टमेन्ट प्लान के अनुमोदन हेतु याचिका छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है जिसे याचिका कमांक 04/2022 के रूप में पंजीकृत किया गया है। उक्त याचिका में याचिकाकर्ता ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सहित उपभोक्ता सेवाओं के स्तर के उन्नयन पर पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया है जिसका वर्षवार सारांश नीचे तालिका में दर्शित है :–

(सभी राशि रूपये करोड़ में)

सरल कमांक	विवरण	वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	महायोग
01	शासन द्वारा वित्त पोषित योजनायें	5629.02	2380.52	2146.66	10156.20
02	कंपनी द्वारा पूर्ण अथवा आंषिक रूप से वित्त पोषित योजनायें	411.80	434.92	419.68	1266.40
03	पूर्ण रूप से उपभोक्ता द्वारा पोषित योजनायें	150.00	150.00	150.00	450.00
	कुल	**6190.82**	**2965.44**	**2716.34**	**11872.60**

उपरोक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर एवं छत्तीसगढ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, चौथा माला, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर स्थित मुख्यालय में उपलब्ध है जिन्हें रू. 100/– के भुगतान के साथ किसी भी कार्यालयीन दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त भुगतान के अतिरिक्त डाक व्यय हेतु रू. 50/– के साथ याचिका की प्रति उक्त कार्यालयों से डाक के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति www.cserc.gov.in एवं www.cspdcl.co.in से भी निःशुल्क डाउनलोड की जा सकती है।

याचिका से प्रभावित होने वाले सभी संबंधित पक्षकारों से याचिका पर आपत्तियां/सुझाव इस नोटिस के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। आपत्ति /सुझाव आम सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों की समयावधि के भीतर कार्यपालक निदेशक (निका एवं उप्र), छस्टेपॉडिस्ट्रीकंलि, रायपुर एवं सचिव, छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आपत्तिकर्ता अपने सुझाव/आपत्ति उपरोक्त कार्यालयों में फैक्स के माध्यम से कमशः 0771–2574442 एवं 0771–4073553 पर भी प्रेषित कर सकते हैं।

छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आपत्तिकर्ता /सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति /संस्था व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान कर सकता है, जिसके स्थान एवं तिथि की जानकारी आयोग द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से पृथक से प्रसारित की जावेगी।

कार्यपालक निदेशक (निका एवं उप्र)
छस्टेपॉडिस्ट्रीकंलि, रायपुर

"स्वहित एवं राष्ट्र हित में ऊर्जा बचायें।

The Central Chronicle, Raipur, Dated 21-01-2022

Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd., Raipur
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)

PUBLIC NOTICE

In pursuance to relevant provisions of CSERC (Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations 2021, Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd. has submitted proposal for approval of Capital Investment Plan for three (03) year control period i.e. FY 2022-23 to FY 2024-25, before State Commission which is registered as Petition No. 04/2022. The year wise summary of proposed Capital Investment Plan is given in the table below:

(All amount in Rs. Crores)

S.No.	Particulars	FY 2022-23	FY 2023-24	FY 2024-25	Total
01	Government Funded Schemes	5629.02	2380.52	2146.66	10156.20
02	Partly or Fully CSPDCL Funded Scheme	411.80	434.92	419.68	1266.40
03	Fully Funded by Consumer	150.00	150.00	150.00	450.00
	Total	**6190.82**	**2965.44**	**2716.34**	**11872.60**

Through this notice it is to inform that interested persons can purchase copy of petition on any working day on payment of Rs. 100/- from Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation colony, Shanti Nagar, Raipur and Executive Director (RA&PM), 4th Floor, Vidhyut Sewa Bhawan, CSPDCL, Raipur. The copy of petition can also be obtained by post from aforesaid offices on additional payment of Rs. 50/-. The petition is also available at www.cserc.gov.in and www.cspdcl.co.in. free of cost.

Persons intending to file objections/suggestion on aforesaid petition may send their objections directly to Executive Director (RA&PM) or Secretary, CSERC within 21 days from the date of publication of this notice. Objections/suggestion may also be sent through fax to ED RA&PM at 0771-2574442 or to Secretary, CSERC at 0771-4073553.

The Commission may provide opportunity of personal hearing to interested person for which date shall be notified by Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission separately.

S-31178/1

Executive Director (RA&PM)
CSPDCL: Raipur

//SAVE ELECTRICITY//